राजस्व वाद संख्याः– 83/2021
नरेन्द्र कुमार बनाम जीताराम आदि
निर्णय दिनांकः– 08/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 83/2021

GCMS NO-2021/120

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादी

बनाम

1. जीताराम पुत्र बुजा जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

दावा बाबत घोषणात्मक, खाता विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक – 08/11/21

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

1. यह कि राजस्व ग्राम महपालवास की सरहद में खसरा नम्बर 696/302 रकबा 0.2518 है0 भूमि वादी का हिस्सा 600/2518 को जरिये दान पत्र भूमि प्राप्त कर काबिज काश्त है।
2. उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 696/302 रकबा 0.2518 है0 में से वादी ने भूमि दादा जीताराम से दान में प्राप्त की है। उक्त वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 600/2518 का खातेदार घोषित किया जाना कानूनी व न्याय संगत है। बंटवारा करवाया जाने का अधिकारी है। दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादी को खातेदार घोषित कर बंटवारा किया जाना कानूनी व न्याय संगत है।
3. यह की वादी उक्त प्राप्त हिस्सा को डवलप करना चाहता है। वादी को राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाना चाहते है। जिसका वादी का कानूनी अधिकार है। वादी को हिस्सा 600/2518 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है किः–
(क) यह कि वाद पत्र की धारा न0 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी 1 के हिस्से भूमि 0.2518 है0 भूमि मे से वादी को 600/2518 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।
(ख) यह कि दावे के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार बंटवारा कर के नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शे सीट में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को दिया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल करवायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अजय कुमार एडवोकेट की और से वकालतनामा पेश किया गया। इकबालिये जवाब दावा पेश किया गया। अधिवक्ता पक्षकारान दावे पर प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार डिकी किये जाने की सहमति आदेशिका पर जाहिर की गई।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेजो में दान पत्र जीताराम बहक नरेन्द्र कुमार दिनांक 09.04.2019 की फोटो प्रति , नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77, नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत इकबालिये जवाब, साक्ष्य सबुत के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि जीताराम पुत्र बुजा के नाम एकल खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जीताराम ने दिनांक 09.04.2019 को जरिये पंजीकृत दान पत्र वादी के नाम भूमि दान की गई है। पक्षकारान का इकबालिये जवाब से आपसी सहमति है। वादी ने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजो से साबित किया है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः— 83/2021
नरेन्द्र कुमार बनाम जीताराम आदि
निर्णय दिनांकः— 08/11/21

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम महपालवास की सरहद में खसरा नम्बर 696/302 रकबा 0.2518 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 600/2518 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पक्षकारान के हस्ताक्षरशुद्वा नजरी नक्शा "प्रदर्श —अ" अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्व दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 08/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 83/2021
नरेन्द्र कुमार बनाम जीताराम आदि
निर्णय दिनांकः— 08/11/21

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 83/2021

निर्णय दिनांक :— 08/11/21

नरेन्द्र कुमार **बनाम** जीताराम आदि

दावा बाबत घोषणात्मक, खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 01 की ओर से **श्री अजय कुमार एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 08/11/21.... को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम महपालवास की सरहद में खसरा नम्बर 696/302 रकबा 0.2518 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 600/2518 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पक्षकारान के हस्ताक्षरशुद्वा नजरी नक्शा "प्रदर्श —अ" अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्व दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08/11/21.........को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ